

## **भैंसों के तबले व बाड़े तोड़ने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी 3 सितम्बर को 9 भैंसों के तबलो को तोड़ा गया नगर निगम ने दो दिन में 14 भैंसों के तबले हटाये**

रतलाम 03 सितम्बर | रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम एक्ट के विरुद्ध नगरीय सीमा क्षेत्र में संचालित भैंसों के तबले व बाड़े हटाने का अभियान दुसरे दिन युद्ध स्तर पर चलाया गया जिसके तहत पटरी पार क्षेत्र के 9 भैंसों के तबलो को तोड़ा गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार भैंसों के बाड़े व तबले तोड़ने का कार्य प्रातः 10 बजे बिरियाखेड़ी से नगर निगम के स्वास्थ्य, लोक निर्माण व राजस्व विभाग अमले द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ प्रारंभ किया गया। तबले संचालक अफजल-अकबर, इरफान बैलूत व मुन्नाभाई पूर्व में सूचना दी गई की वे अपने तबलों को स्वयं हटा लें किन्तु तबले नहीं हटाये जाने की स्थिति में उक्त तबलों को जेसीबी मशीन के माध्यम से हटाया गया।

इसके पश्चात एम.बी. नगर में चन्दरसिंह-बापुसिंह, कॉमर्स कॉलेज के सामने मालवा डेरी फार्म, मोहन नगर में कमल घोसी व रेल नगर में रामकुमार यादव व राजेन्द्र यादव के दो तबले को तोड़कर भविष्य में नगरीय क्षेत्र में तबले संचालित नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया। नगर निगम अमले द्वारा जिन भैंस पालकों के तबले तोड़े गये हैं उनसे 15 हजार रुपये प्रति घन्टे मान से राशि वसूल की जावेगी। नगरीय क्षेत्र में संचालित भैंसों के तबले एवं बाड़े को तोड़ने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

तबले हटाने की कार्यवाही के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री मनीष तिवारी, अनिता ठाकुर, दीक्षा निजामपुरकर, राजस्व उप निरीक्षक श्री सुनील कपूर, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े, दरोगा राजू कल्याण, प्रेमचन्द फतरोड, ब्रजेश खरे, चंदन तवर सहित निगम के स्वास्थ्य, लोक निर्माण व राजस्व विभाग अमले के साथ ही पुलिस प्रशासन उपस्थित था।

## **डेंगू से बचाव हेतु वृहद स्तर कीटनाशक दवा का छिड़का प्रारंभ निगम आयुक्त श्री झारिया नवीन फॉगिंग मशीन की पूजा अर्चना**

रतलाम 03 सितम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर निगम व मलेरिया विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संपूर्ण नगर में वृहद स्तर पर फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का 2 डबल बैरल व 2 सिंगल बैरल मशीन से छिड़काव प्रारंभ किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम द्वारा क्रय की गई डबल बैरल फॉगिंग मशीन की विधिवत् पूजा अर्चना कर अभियान की शुरुआत की। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर निगम द्वारा नवीन क्रय की गई 1 डबल बैरल, 1 पुरानी डबल बैरल, 1 सिंगल बैरल फॉगिंग मशीन व मलेरिया विभाग की 1 सिंगल बैरल मशीन से संपूर्ण शहर में कीटनाशक दवा छिड़काव का अभियान प्रारंभ किया है। मलेरिया विभाग द्वारा डबल बैरल की 1 फॉगिंग मशीन 4 सितम्बर को उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही नगर निगम द्वारा और भी फॉगिंग मशीन क्रय कर अभियान को ओर अधिक वृहद रूप प्रदान किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा पूर्व से ही फॉगिंग मशीन व प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम द्वारा दिये गये निर्देश के तहत ओर फॉगिंग मशीन बढ़ाई गई है जिससे निश्चित ही 20 से 25 दिनों में मच्छरों व उनके लार्वा पर काबू पाया जा सकेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि 3 सितम्बर से पटरी पार के क्षेत्रों में एक एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन व शहरी क्षेत्र में 1 डबल बैरल व 2 सिंगल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जायेगा आगामी 2 से 3 दिनों में फॉगिंग मशीन की संख्या बढ़ाई जायेगी। उन्होने बताया कि कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार किल कोरोना अभियान के तहत किल डेंगू व मलेरिया अभियान चलाया जायेगा जिसके तहत घर-घर जाकर डेंगू, मलेरिया के मरीजों की जानकारी ली जाकर उनका उपचार करवाया जायेगा साथ ही मच्छर व उनके लार्वा को भी नष्ट किया जायेगा।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ० प्रमोद प्रजापति, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, श्री मनीष तिवारी, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री विनय चौहान, श्री विराट मेहरा, मलेरिया विभाग के सर्वश्री सुनील दुबे, सुरेश रघुवंशी, लक्ष्मीनारायण भाटी, जालम सिंह परिहार आदि उपस्थित थे।

### **कलेक्टर एवं प्रशासक आज शनिवार को नागरिकों की सुनेंगे शिकायत**

रतलाम 03 सितम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम नागरिकों की नगर निगम से संबंधित शिकायतें 4 सितम्बर शनिवार सांय 04:00 से 05:00 बजे तक निगम सभागृह में सुनेंगे व शिकायतों का निराकरण करवायेंगे।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इस हेतु निगम के समस्त विभाग प्रमुख, समस्त विभागीय मुख्य लिपिक व कम्प्यूटर आपरेटरों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने विभागों से संबंधित समस्त जानकारी के साथ प्रत्येक शनिवार को निर्धारित समय के पूर्व कार्यालय में उपस्थित रहें ताकि प्राप्त शिकायत या समस्या का निराकरण तत्समय किया जा सकें।

### **खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें**

रतलाम 03 सितम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 03 सितम्बर को 12 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में कचरा व गंदगी करने पर शैलेन्द्रसिंह लम्बी गली पर 1000, शांतिलाल, विनोद कटारिया महलवाड़ा, पर 500-500, शर्माजी सैलाना रोड, बालाजी रेस्टोरेंट दो बत्ती, मार्डन केमिस्ट, श्रीराम केमिस्ट कॉलेज रोड पर 250-250, महाकाल नमकीन फुलमण्डी पर 200, चौधरी रेस्टोरेंट फुलमण्डी पर 100, ए.के. पान भण्डार, किशोर, मुकेश सैलाना रोड पर 50-50 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए. पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

**नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 3 सितम्बर को 89 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा**

रतलाम 03 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 03 सितम्बर शुक्रवार को 89 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

03 सितम्बर शुक्रवार को डम्पर से 44730, काम्पेक्टर सूखा कचरा 24445, काम्पेक्टर गीला 19115, मैजिक 1320 किलो इस तरह कुल 89610 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

### **नो पार्किंग में खड़े 4 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना**

रतलाम 03 सितम्बर । नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं, उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 03 सितम्बर शुक्रवार को नो पार्किंग में खड़े 4 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 03 सितम्बर शुक्रवार को चांदनी चौक व फीगंज क्षेत्र में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर भरतलाल-जगदीश पोरवाल डूंगरी झाबुआ, संजय-दीनदयाल पाटीदार पर 500-500, रितेश कांतीलाल मेहता व सुशील-शेरचन्द पर 200-200 रुपये का जुर्माना किया गया।

### **980 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए**

**पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें**

रतलाम 03 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रुपये 10,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2429 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 1245 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 962 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रुपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 43 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 18 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रुपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रुपये 10,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रुपये 20,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

**नगर निगम के पेंशनरो को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र**

रतलाम 03 सितम्बर। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

## **नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें**

रतलाम 03 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

### **गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही**

रतलाम 03 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

### **वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही**

रतलाम 03 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/03.09.2021/न.पा.निगम, रतलाम.